संख्या:74/2021/2165/12-2-2021

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश / निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
2. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 18 अक्टूबर, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न विभागों की राज्य/केन्द्र पोषित योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है तथा उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 जारी की गयी है।

2. इस सन्दर्भ में उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 05/2021/222/12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 15 जनवरी, 2021 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करते हुए प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम 01 (एक) एफ0पी0ओ0 गठित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद स्तर पर अनुश्रवण तथा समन्वय हेतु शासनादेश संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनॉक 04 नवम्बर, 2020 तथा 2133 दिनॉक 27 नवम्बर, 2020 जारी किए गए हैं।

3. उक्त के क्रम में निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(i) जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (DCM)/जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई (SPMU)/की प्रत्येक माह नियमित बैठक जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सुनिश्चित की जाय।

(ii) कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से कृषक उत्पादक संगठनों को लाभान्वित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही उप कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जाये। कृषि सेवा से जुड़े अन्य जिला स्तरीय अधिकारी विभागीय योजनाओं का लाभ एफ0पी0ओ0 को दिलाएंगे तथा कन्वर्जेंस सुनिश्चित करेंगे। सभी विकास के कार्य योजनाओं में एफ0पी0ओ0 को एक घटक के रूप में समायोजित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) उप कृषि निदेशक द्वारा उक्त बैठकों को नियमित रूप से प्रत्येक माह आयोजित कराने के उपरान्त कार्यवृत्त संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन)/नोडल अधिकारी, एफ0पी0ओ0 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।

(iv) प्रत्येक जनपद में प्राविधिक सहायक वर्ग-3 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। जनपद के प्रत्येक पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों हेतु 01 प्राविधिक सहायक वर्ग-3/सक्षम प्राविधिक सहायक को उनका Mentor (मार्गदर्शक) तथा समन्वयक नामित किया जाये जो सम्बन्धित कृषक उत्पादक संगठन को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित कराने, उनकी समस्याओं का निराकरण कराने में समन्वय के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित समस्त सामयिक ऑकड़ो को UP-FPO Shakti पोर्टल पर अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।

(v) उप कृषि निदेशक द्वारा नामित प्राविधिक सहायक वर्ग-3/सक्षम प्राविधिक सहायक का विवरण निम्न प्रारूप पर एफ0पी0ओ0 सेल/संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन), उत्तर प्रदेश को दिनॉक 25.10.2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे:-

क्र0सं0	सम्बन्धित कृषक संगठन का नाम एवं पता	विकास खण्ड का नाम	नामित प्राविधिक सहायक वर्ग-3/ सक्षम सहायक का नाम	मोबाईल नं0	ई-मेल
1	2	3	4	5	6

(vi) इन नामित तथा प्रत्येक एफ0पी0ओ0 के चिन्हित पदाधिकारी तथा नामित तकनीकी सहायक को UP-FPO Shakti पोर्टल, कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी, प्रबन्धकीय क्षमता वर्धन हेतु राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा में माह नवम्बर में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कररानें हेतु उत्तरदायी होंगे।

(vii) इन प्रशिक्षणों में प्रत्येक जनपद के नामित प्राविधिक सहायकों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा प्रदेश के सभी कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशकों को राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान पर विभिन्न सामयिक विषयों के साथ-साथ पोर्टल तथा वित्तीय अभिलेखों के रख-रखाव एवं कम्पनी नियमों पर भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा। कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी अधिनियम 1965 में पंजीकृत अलग-अलग कृषक उत्पादक संगठनों के प्रशिक्षण पृथक-पृथक बैच में कराये जायेंगे।

(viii) कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशकों एवं नामित प्राविधिक सहायकों के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फलैक्सी फण्ड से किया जायेगा।

(ix) राज्य कृषि प्रबंध संस्थान पर प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम दो बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 6 सप्ताह से पूर्व किया जाएगा।

(x) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आने से पूर्व उन्हे जनपद में गठित/पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों के मुख्य आंकड़े (डाटा) भी एकत्रित कर लये जायेंगे जिससे प्रशिक्षण के समय ही यू0पी0 एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर अपडेट कराया जा सके।

(xi) टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के माध्यम से दिनांक 25.10.2021 तक Cloud Based Telegram Group तैयार कर लिया जाये जिसमें प्रदेश के समस्त कृषक उत्पादक संगठनों के 01-01 निदेशक

http://sfacandidesh.up.gov.in

को अनिवार्य रूप से जोड़ लिया जाये जिससे नये शासनादेशों, कार्ययोजनाओं, बैठकों इत्यादि के सम्बन्ध में उन्हे समय-समय पर सूचित किया जा सके।

(xii) बी0एम0जी0एफ0 के टेक्निकल सपोर्ट यूनिट को निदेशक, कृषि के अधीन सम्बद्ध रहेगा तथा कृषि भवन में स्थान आवंटित कर दिया जाये जिससे उनके अधिकारी/कर्मचारी उक्त कार्यस्थल पर कार्यशील होकर राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई-एफ0पी0ओ0 को सहयोग प्रदान कर सकें।

अत: उपरोक्त कार्यवाही समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:74/2021/2165(1)/12-2-2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि:- 1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन महोदय को सादर संज्ञानार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
4. समन्वयक, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट-बी0एम0जी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in